आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई.सी.डी.एस. अपील वाद संख्या–26 / 2022

श्यामा कुमारी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
23.03.2023	यह अपीलवाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के वाद संख्या–95 / 2019 प्रियंका कुमारी बनाम बाल विकास परियोजना पदाधिकारी में दिनांक–20.01.2022 को पारित आदेश, जिसमें वादी (श्यामा कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका) द्वारा नियम के विरुद्ध सेविका का चयन करने के कारण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा एक माह के मानदेय के समतुल्य राशि की कटौती तथा भविष्य में उन्हे चयन कार्य से वंचित रखने के पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। वादी (श्यामा कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका) के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को अधिग्रहण (पोषणीयता) के बिन्दु पर सविस्तार सुना। सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य / तथ्य उपस्थापित नहीं किया जा सका, जिससे यह साबित हो सके की प्रश्नगत वाद इस न्यायालय में पोषणीय है। अंत में वादी (श्यामा कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका) के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद को वापस लेने हेतु एक आवेदन समर्पित किया गया। विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान बताया कि यह न्यायालय (आयुक्त न्यायालय) महिला पर्यवेक्षिका के चयनमुक्ति से संबंधित वाद को सुनने के लिए प्राधिकृत है, जबकि प्रश्नगत	

WEB COPY NOT OFFICIAL

मामला महिला पर्यवेक्षिका का एक माह के मानदेय के समतुल्य राशि की कटौती तथा भविष्य में उन्हे चयन कार्य से वंचित रखने के पारित आदेश से संबंधित है, जिसको सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है।

वादी (श्यामा कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका) के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामला महिला पर्यवेक्षिका (श्यामा कुमारी) द्वारा सेविका के चयन में नियम के विरुद्ध काम करने के लिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा एक माह के मानदेय के समतुल्य राशि की कटौती तथा भविष्य में उन्हे चयन कार्य से वंचित रखने के पारित आदेश से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि यह न्यायालय (आयुक्त) महिला पर्यवेक्षिका के मामले में केवल उनके (महिला पर्यवेक्षिका) चयनमुक्ति से संबंधित वाद को सुनने के लिए प्राधिकृत है।

उपर्युक्त के आलोक में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद वापसी के दिये गये आवेदन के आधार पर प्रस्तुत वाद को Dismissed as withdrawn किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL